राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

पिठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर0ए0एस0)

केम्प कोर्ट, सोनेली

राजस्व वाद संख्या– 91/2017

1– कचरूराम पुत्र धन्नाराम जाति नाई निवासी रोहिणा तह.जायल जि. नागौर।
2– शिम्भूराम पुत्र धन्नाराम जाति नाई निवासी रोहिणा तह.जायल जि. नागौर।

......................वादीगण

बनाम

1– धन्नाराम पुत्र दुर्जाराम जाति नाई निवासी रोहिणा तह.जायल जि. नागौर।
2– तहसीलदार जायल जिला नागौर।

.... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता

1 श्री रामनारायण चौधरी वादीगण की और से।
2 श्री मुकेश बिडियासर प्रतिवादी सं. 01 की और से।

–: निर्णय :–

दिनांक 08.05.18

वाद वादीगण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी संख्या 01 से 02 प्रतिवादी सं. 01 के जाइन्दा सन्तान है जिन के बडेर की भूमि मौजा रोहिणा के खेत खसरा नम्बर 85 रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 89 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 141 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 210 रकबा 18 बीघा 04 बिस्वा आयी हुई है। जिस में हम वादीगण का कानूनी हिस्सा व बंट है। वादीगण व प्रतिवादी धन्नाराम के बीच में बंटवारा संवत् 2072 को वाद के पेरा संख्या 2 के उप पेरा (क,ख,ग) के अनुशार कर लिया जिस के अनुशार वाद को डिकी किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

वाद वादीगण का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 01 की ओर से वकील मुकेश बिडियासर ने वकालतनामा पेश कर इन की पहचान देकर इन की ओर से ईकबाली जबाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 02 बावजूद तामील गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी सं. 01 के द्वारा ईकबाली जबाव देने के कारण वाद में विवाधक बिन्दु तय नहीं किये। प्रकरण में विद्धवान अधिवक्तओं वकील वादी व वकील प्रतिवादी सं. 01 की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र में अंकित निवेदन के अनुसार खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धवान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। वादीगण का वाद निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :–

1– वादी सं. 01 कचरूराम के हक बंट में मौजा रोहिणा के खेत खसरा नम्बर 85 रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा में से दक्षिणी भाग 10 बीघा 14 बिस्वा, खेत खसर नम्बर 89 रकबा 12 बिस्वा में से 06 बिस्वा दक्षिणी भाग, खेत खसरा नम्बर 141 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा में से 02 बीघा 11 बिस्वा दक्षिणी भाग व खेत खसरा नम्बर 210 रकबा 18 बीघा 04 बिस्वा में से 09 बीघा दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

2– वादी सं. 02 शिम्भुराम के हक बंट में मौजा रोहिणा के खेत खसरा नम्बर 85 रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा में से उत्तरी भाग 10 बीघा 15 बिस्वा, खेत खसर नम्बर 89 रकबा 12 बिस्वा में से 06 बिस्वा उत्तरी भाग, खेत खसरा नम्बर 141 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा में से 02 बीघा 12 बिस्वा उत्तरी भाग व खेत खसरा नम्बर 210 रकबा 18 बीघा 04 बिस्वा में से 09 बीघा 01 बिस्वा उत्तरी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

3– प्रतिवादी सं. 01 धन्नाराम के हक बंट में मौजा रोहिणा के खेत खसरा नम्बर 265 व 266 में से 1/2 भाग यथावत रखा गया है।

4– मौजा रोहिणा के खेत खसरा नम्बर 85 में अवस्थित टयूबवेल व रहवासी ढाणी वादीगण के शामलाती में रखी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी जायल

उपखण्ड अधिकारी
जायल, नागौर

निर्णय आज दिनांक 08.5.18 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी जायल

उपखण्ड अधिकारी
जायल, नागौर

Scanned by CamScanner